बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक–12/विविध–5010/16–सा0प्र0– /पटना, दिनांक= 2016

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित ।

द्वारा:– वित्त विभाग।

विषयः बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पे–बैण्ड ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6600 में प्रत्येक विभाग में पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 55 (पचपन) पद एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पे–बैण्ड ₹ 5200–20,800, ग्रेड पे ₹ 2400 में प्रत्येक विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालयों के लिए आशुलिपिक के 55 (पचपन) पद कुल 110 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत ।

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में राज्य की जनता को नियत समय सीमा के अन्दर उनके शिकायत के निवारण के उद्देश्य से विधि विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–एल.जी.–1–12/2015/लेज 129, दिनांक–28.08.2015 द्वारा 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015' अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के अधीन निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के स्थायी रूप से सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी (बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर)	15600–39100	6600	55	बड़े एवं जनसरोकार वाले कुल 11 विभागों यथा गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, कृषि, पथ निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक के लिए 2–2 तथा शेष 33 विभागों में प्रत्येक के लिए 1–1 पद ।
2	आशुलिपिक (बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा)	5200–20800	2400	55	बड़े एवं जनसरोकार वाले कुल 11 विभागों यथा गृह, वित्त, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, कृषि, पथ निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक के लिए 2–2 तथा शेष 33 विभागों में प्रत्येक के लिए 1–1 पद ।

3. विभिन्न विभागों में पदस्थापित विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं आशुलिपिक (बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा) के वेतन भत्तों के मद में व्यय भार का वहन गैर योजना बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–0090–सचिवालय, उप शीर्ष–0004–सामान्य प्रशासन विभाग (विपत्र कोड–N2052000900004, मांग संख्या–33) में उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

4. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठद दिनांक–17.05.2016 में मद सं0–04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.05.16

(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 12/विविध–5010/16–सा0प्र0– 7606 /पटना, दिनांक– 27.05 2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (प्रशाखा–09), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.05.16

सरकार के अवर सचिव।